रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266459
SG-DL-E-29092025-266459

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 253
No. 290]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947	[N. C. T. D. No. 253

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यलय पंजीयक सहकारी समितियां

अधिसूचना

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

फा. सं. 47/पॉलिसी/आरसीएस/2012/243/सीडी.000181973/461.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम–03) की धारा 144 की उपधारा (1) तथा (2) तथा दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2007 और दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, श्री जे.पी. अग्रवाल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, जिस तिथि से वे दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं, से लेकर तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। श्री जे.पी. अग्रवाल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें, दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण, 2006 (समय–समय पर संशोधित) में निर्धारित अनुसार होगीं।

यह अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2025 की समसंख्यक पूर्ववर्ती अधिसूचना का स्थान लेती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

कृष्ण कुमार सिंह, आई.ए.एस.

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd September, 2025

F. No. 47/Policy/RCS/2012/243/CD.000181973/461.—In exercise of powers conferred under sub sections (1) and (2) of section 114 of The Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act No. 03 of 2004), read with the DCT Rules 2007 and Delhi Cooperative Tribunal Rules 2006, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. J.P. Agarwal, IAS (Retired) as Member of Delhi Co-operative Tribunal from the date he enters upon office as Member, Delhi Cooperative Tribunal, for a period of three years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. Other terms & conditions of appointment of Sh. J.P. Agarwal, IAS (Retired) as Member of Delhi Co-operative Tribunal shall be as prescribed in the Delhi Co-operative Tribunal Rules, 2006.

This supersedes the earlier notification of even number dated 19th September, 2025.

By Order and in The Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KRISHNA KUMAR SINGH, IAS

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.29 22:22:54 +05'30'